प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 05.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना भीरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 05.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना भीरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स/अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने में माल मुकदमाती के व्यवस्थित रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए । पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा चौकी खजुरिया (थाना सम्पूर्णानगर) क्षेत्रान्तर्गत चैक पोस्ट एवं नेपाल बॉडर का निरीक्षण किया गया</u>

आज दिनांक 05.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना सम्पूर्णानगर की चौकी खजुरिया व चैक पोस्ट एवं नेपाल बॉडर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान बार्डर पर आने जाने वाले व्यक्तियों से स्वयं भी पूछताछ करते हुए पहचान-पत्र चेक किये गए तथा संबंधित को प्रत्येक आने जाने वाले लोगों की चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त रवि दयाल पुत्र राम किशुन को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त रवि दयाल पुत्र राम किशुन निवासी ग्राम कोरियाना मजरा रूरा सुलतानपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 547/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. रवि दयाल पुत्र राम किशुन निवासी ग्राम कोरियाना मजरा रूरा सुलतानपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री अंकुर कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
2.उ0नि0 श्री मो0 अनीस, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
3.का0 दारा सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

थाना गोला पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1300/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1,300/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 660/23 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. आदर्श शुक्ला पुत्र जगमोहन रामपुर गोकुल थाना गोला जनपद खीरी
2. सलीम पुत्र रफीक रामपुर गोकुल थाना गोला जनपद खीरी
3. श्रवण पुत्र छोटेलाल रामपुर गोकुल थाना गोला जनपद खीरी
4. रिहान पुत्र मो0 हनीफ सर्व नि0 रामपुर गोकुल थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी विवरण

52 अदद ताश के पत्त व कुल 1300/- रू0 बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1 उ0नि0 सिद्धान्त पंवार
2.का0 कुलदीप सिंह
3. का0 बोबी कुमार
4. का0 राजीव कुमार
5. का0 आशीष

<u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त सुनील सिंह उर्फ छुक्के पुत्र शौर्य भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2023 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुनील सिंह उर्फ छुक्के पुत्र शौर्य भगत सिंह निवासी ग्राम मस्तीपुर थाना पसगवां जनपद खीरी को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 351/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>
सुनील सिंह उर्फ छुक्के पुत्र शौर्य भगत सिंह निवासी ग्राम मस्तीपुर थाना पसगवां जनपद खीरी

<u>बरामदगी का विवरण</u>
अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
1.उ0नि0 हेमंत कटियार थाना पसगवां जनपद खीरी
2.हे0का0 गेंदनलाल थाना पसगवां जनपद खीरी
3.का0 संदीप तेवतिया थाना पसगवां जनपद खीरी
4.का0 अंकित हुड्डा थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस व क्राइम ब्रान्च जनपद खीरी की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 02.11.2023 को कचेहरी परिसर के लाकअप से फरार बन्दी व मु0अ0स0 1077/2023 धारा 223/224 भादवि के वांछित अभियुक्त को ग्राम सहिजना के पास नहर पुल जनपद हरदोई से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री गणेश साहा निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी व क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 05.11.2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस व क्राइम ब्रान्च जनपद खीरी की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 02.11.2023 को कचेहरी परिसर के लाकअप से फरार बन्दी व मु0अ0स0 1077/2023 धारा 223/224 भादवि के वांछित अभियुक्त करन उर्फ बब्लू पुत्र मलखान कलाबाज निवासी आस्थाई डेरा मूल निवासी कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई को ग्राम सहिजना के पास नहर पुल मानपुर रोड जनपद हरदोई से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही कर मा0 न्याया0 भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. करन उर्फ बब्लू पुत्र मलखान कलाबाज निवासी आस्थाई डेरा मूल निवासी कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई

अपराधिक इतिहास अभियुक्त ....

1.मु0अ0स0 204/2023 धारा 392/411/413 भादवि थाना गोला जिला खीरी

2. मु0अ0स0 235/2023 धारा 392/411/341 भादवि थाना गोला जिला खीरी

3. मु0अ0स0 241/2023 धारा 307/419/420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना गोला खीरी

4. मु0अ0स0 526/2023 धारा 2(बी)(1)/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना गोला जिला खीरी

5. मु0अ0स0 153/2023 धारा 394 भादवि थाना मैलानी जिला खीरी

6. मु0अ0स0 1077/2023 धारा 223/224 भादवि थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

गिरफ्तारकर्ता टीम का विवरण –

1. निरीक्षक श्री हरिकेश राय प्रभारी स्वाट/ सर्विलेंस सैल खीरी
2.व0उ0नि0 सुनीत कुमार कोतवाली सदर खीरी
3. उ0नि0 संदीप यादव कोतवाली सदर खीरी
4.उ0नि0 जयप्रकाश यादव कोतवाली सदर खीरी
5. म0उ0नि0 साधना यादव कोतवाली सदर खीरी
6. हे0का0 अविनाश सिंह कोतवाली सदर खीरी
7. हे0का0 विजय शर्मा कोतवाली सदर खीरी
8.का0 सतेन्द्र कुमार कोतवाली सदर खीरी
9.का0 विकास चौहान कोतवाली सदर खीरी
10.का0 विकास यादव कोतवाली सदर खीरी
11.हे0का0 आशीष सिंह चौहान सर्विलेंस सैल खीरी
12.का0 महताब आलम सर्विलेंस सैल खीरी
13.का0 अजीत यादव स्वाँट टीम खीरी
14.का0 सिकन्दर स्वाँट टीम खीरी
15.हे0का0 अरविन्द सिंह चन्देल थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चैकिग के दौरान थाना गोला से गैगेस्टर एक्ट में वाछिंत अभियुक्त पंकज उर्फ पिंकू पुत्र श्यामबिहारी को एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनाँक 05.11.2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाना गोला गैगेस्टर एक्ट में वाछिंत अभियुक्त पंकज उर्फ पिंकू पुत्र श्यामबिहारी निवासी भटपुरा थाना पुवाया जनपद शांहजहांपुर को बृजभवन से 15 से 20 कदम की दूरी गढी रोड एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1084/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1. पंकज उर्फ पिंकू पुत्र श्यामबिहारी निवासी भटपुरा थाना पुवाया जनपद शांहजहांपुर

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

अभियुक्त को एक अदद तमंचा 12 वोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 वोर के साथ गिरफ्तार किया गया ।

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त ....</u>

1.मु0अ0स0 204/2023 धारा 392/411/413 भादवि थाना गोला जिला खीरी
2. मु0अ0स0 235/2023 धारा 392/411/341 भादवि थाना गोला जिला खीरी
3. मु0अ0स0 526/2023 धारा 2(बी)(1)/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना गोला जिला खीरी
4. मु0अ0स0 153/2023 धारा 394 भादवि थाना मैलानी जिला खीरी
5. मु0अ0स0 71/2022 धारा 392 भादवि थाना दियूरिया कलां जिला पीलीभीत
6. मु0अ0स0 840/2021 धारा 323/352/452 भादवि थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर
7. मु0अ0स0 008/2015 धारा 379/411 भादवि थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर
8. मु0अ0स0 4225/2018 धारा 307/411/414/420/467/468/471 भादवि थाना सिधौंली जिला शाहजहाँपुर
9. मु0अ0स0 426/2018 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना सिधौंली जिला शाहजहाँपुर
10. मु0अ0सं0 1084/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम का विवरण –</u>

1. उ0नि0 संदीप यादव कोतवाली सदर
2. का0सतेन्द्र कुमार कोतवाली सदर
3. का0 राहुल सोनकर कोतवाली सदर

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 276 ग्राम अल्फ्रासेफ पाउडर बरामद कर अभियुक्त मतीन पुत्र जियाउल्ला को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2023 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. मतीन पुत्र जियाउल्ला नि0ग्राम रायपुर घुन्सी थाना नीमगाँव खीरी को घुग्घुलपुर नाला पुलिया बहद ग्राम घुग्घुलपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी से 276 ग्राम अल्फ्रासेव पाउडर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 454/2023 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मतीन पुत्र जियाउल्ला नि0ग्राम रायपुर घुन्सी थाना नीमगाँव खीरी

बरामदगी-
276 ग्राम अल्फ्रासेफ पाउडर बरामद

आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 18/22 धारा 5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 35/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 40/22 धारा 2/3 यूपी गैगंस्टर एक्ट थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 174/19 धारा .3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 182/22 धारा 5/8 2(B)(xv) यूपी गैगंस्टर एक्ट थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 187/16 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 261/20 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 269/18 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 270/18 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नीमगांव खीरी

मु0अ0सं0 283/19 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 290/20 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 302/22 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 305/22 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 359/20 धारा 2/3 यूपी गैगंस्टर एक्ट थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 361/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना नीमगांव खीरी
मु0अ0सं0 454/23 धारा 8/21 NDPS अधि0 थाना नीमगांव खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्रपाल सिंह थाना हैदराबाद ,खीरी
2. का0 संजय कुमार थाना हैदराबाद जिला खीरी।
3. का0 प्रेमशंकर थाना हैदराबाद खीरी।

<u>थाना शारदानगर पुलिस द्वारा ग्राम चौकीदारों की मीटिंग कर वस्तुओ को वितरित किया गया।</u>

आज दिनाँक 05.11.2023 को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित स्टोर रूम से श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा उपलब्ध कराए गए थाना स्थानीय पर नियुक्त ग्राम चौकीदारों के लिए स्वेटर, साफा का कपड़ा, जूता व वर्दी आदि को प्रभारी निरीक्षक शारदानगर द्वारा ग्राम चौकीदारों की मीटिंग कर उक्त वस्तुओं को वितरित किया गया।

<u>थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर 01 नफर अभियुक्त अलीम पुत्र सुफियान को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2023 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त अलीम पुत्र सुफियान निवासी ग्राम जेठरा थाना खमरिया खीरी को एक अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 270/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>
अलीम पुत्र सुफियान निवासी ग्राम जेठरा थाना खमरिया खीरी

<u>बरामदगी का विवरण</u>
एक अदद अवैध चाकू बरामद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
1. उ0नि0 श्री सुनील बाबू अवस्थी थाना खमरिया जनपद खीरी ।
2. हे0का0 आशीष वर्मा थाना खमरिया जनपद खीरी ।
3. का0 रवि यादव थाना खमरिया जनपद खीरी ।

"यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत" जागरूकता अभियान का आयोजन

आज दिनांक 05.11.2023 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जनपद खीरी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पंचम दिवस में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभारी यातायात खीरी के नेतृत्व में ट्रैफिक वालिन्टियर को साथ लेकर यातायात पुलिस जनपद खीरी द्वारा शहर पलिया बस अड्डे पर जनपद के स्वयं सेवी संगठनों, बस यूनियन लखीमपुर खीरी, ट्रान्सपोर्टरों, ई-रिक्शा, ऑटो-टैक्सी व बस चालकों के साथ संगोष्ठी कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। दो पहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अवश्य धारण करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होती है- सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है स्लोगन के साथ यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रभारी यायायात खीरी द्वारा बताया गया कि कोई भी बस चालक क्षमता से अधिक सवारी न बैठायें व तेज गति में कदापि वाहन न चलायें। द्वितीय यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर के सौजन्या चौक पर ट्रैफिक वालिन्टियर को साथ लेकर यातायात पुलिस जनपद खीरी द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। दो पहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट अवश्य धारण करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते 345 वाहनों का चालान किया गया ।

थाना गोला पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1220/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1220/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना गोला पर मु0अ0स0 659/2023 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1.राज पुत्र राजकिशोर नि0 ऊचीभूड़ थाना गोला खीरी उम्र करीब 22 वर्ष
2.रोहित पुत्र राजेन्द्र नि0 ऊचीभूड़ थाना गोला खीरी उम्र करीब 23 वर्ष
3.केतन पुत्र मुन्नु नि0 ऊचीभूड़ थाना गोला खीरी उम्र करीब 26 वर्ष
4.विक्की पुत्र स्व0 मैकू नि0 ऊचीभूड़ थाना गोला खीरी उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण

52 अदद ताश के पत्त व कुल 1220/- रू0 बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 गौरव सिंह थाना गोला
2.का0 गौरव सिंह थाना गोला
3.का0 राजेश कुमार थाना गोला

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 01 नफर अभियुक्त आरिफ पुत्र पुस्सा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त आरिफ पुत्र पुस्सा निवासी रसूलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 734/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 06 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, ताश के पत्ते व 3,900 रु० नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना शारदानगर पुलिस द्वारा विभ्भिन स्थानों पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों जुआ खेलते समय ताश के पत्ते व 3,900 रु० नगद सहित पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना शारदानगर पर धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना गोला पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, ताश के पत्ते व 1,120 रु० नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा विभ्भिन स्थानों पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों जुआ खेलते समय ताश के पत्ते व 1,120 रु० नगद सहित पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना गोला पर धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 162 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **162 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 शराब भट्ठी** बरामद कर **10 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **10 अभियोग** पंजीकृत किए गए।